

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा
(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)
पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर०ए०एस०

उपस्थित जगदीश वनाम किशनाराम जाधव
वादा बाबत :- 88 RJA 14
मुकदमा नम्बर :- 347/2021
निर्णय दिनांक :- 23-11-2021

वादी की ओर से वकील राममुक्ति तारकर की व प्रतिवादी सं० 1 का के की ओर से वकील जगदीश जाधव की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 23-11-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

शेध मोजा उंगराना के खाता सं० 74/68 के खसरा सं० 347 की 1.700 है, खसरा सं० 348 की 3.3820 है, खसरा सं० 349/2 की 3.5820 है कुल 8.810 है वाराना खेतदारी कुब्ज मुमि प्रतिवादी सं० किशनाराम के नाम से राजस्व रिलाड में दर्ज है म से प्रतिवादी सं० किशनाराम का नाम कलमजान किशनाराम वादी जगदीश व प्रतिवादी सं० 2 महेंद्र, प्रतिवादी सं० 3 खुबीर प्रतिवादी सं० 4 मुहम्मद कुमार के कडिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार बोधता किशे जाते है मुमि प्रतिवादी सं० 5, 6 ने अपना सम्पुर्ण कड व डिस्सा वादी व प्रतिवादी सं० 2 का पू के पक्ष में त्याग कर ग्रन्थ कर लिमा है इसलिए त्याग किशे गये डिस्स पर पंजीभन विभाग को पेश पंजीभन मुलक एवं स्थान उभरी अदा करके व स्थान हमि मुमि वक के रखे हो तो बहन मुक होने के उस्ताना व राजस्व रिलाड में अमल दरामद किया जावे राजानामा का डिन्नी का माग पढा जावे

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 23-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)

R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा जिला (हनुमानगढ़) भादरा
प्र.गा. के संग अ. 2021-
कम्प